



VAAGDHARA

वाग्त

अप्रैल 2021

वाग्धारा नी

गहरी जुताई का महत्व

किसान खेतों की जुताई का काम अक्सर बुवाई के समय करते हैं। फसलों में लगने वाले कीड़े व बिमारियों की रोकथाम की दृष्टी से बुवाई के समय की गई जुताई से ज्यादा लाभ गर्मी में गहरी जुताई करके खेतों को खाली छोड़ देने से मिलता है। गर्मियों में गहरी जुताई करने से भूमि का तापमान बढ जाता है। जिससे कीड़ों के अण्डे, प्यूपा और लारवा खत्म हो जाते हैं। फसल की अच्छी उपज के लिए रबी फसल कटाई के तुरन्त बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेत को खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है क्योंकि कीड़ों के अण्डे, प्यूपा और लारवा खत्म होने से खरीफ के मौसम में बाजरा, धान, दलहन और सब्जियों में लगने वाले कीड़े व बिमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। अतः गर्मी में गहरी जुताई करने से कीड़े-बिमारियों से एक सीमा तक छुटकारा पाया जा सकता है। फसल कटाई के उपरांत मशीनों के उपयोग के कारण खेत असंतुलित हो जाते हैं। खेत खरपतवारों, कठोर सतह एवं हानिकारक कीट व्याधियों से संक्रमित रहते हैं। फसल कटने के बाद खेतों की जुताई मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। अतः इन खेतों में जुताई करना आवश्यक है। कटाई के तुरंत बाद जुताई करना आवश्यक है, क्योंकि रबी की फसल कटाई के पश्चात खेत में नमी शेष रह जाती है, खेत में नमी रहने पर बैलों को कम मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही साथ गहरी जुताई भी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रीष्मकालीन जुताई इनके नियंत्रण एवं पर्यावरण के लिए अनुकूल किफायती व प्रभावी तकनीक है।

कब करें ग्रीष्मकालीन जुताई ?

फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए रबी की फसल की कटाई के तुरन्त बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेत को खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है, ग्रीष्मकालीन जुताई रबी मौसम की फसलें कटने के बाद शुरू होती हैं जो बरसात शुरू होने पर समाप्त होती है। अर्थात् अप्रैल से जून माह तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। गर्मी के महीनों के दौरान दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, साथ ही इस समय अधिकांश खेत खाली होते हैं। अतः शुष्क क्षेत्रों में हानिकारक जैविक कारकों ;पादप रोग,निमेटोड, सूक्ष्मजीव,कीट-पतंग, खरपतवार के नियंत्रण के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कम खर्च में सबसे सफल तकनीक है। किसान भाइयों के खेत जैसे-जैसे खाली होते जाते हैं वैसे ही जुताई कर देनी चाहिए।

ग्रीष्मकालीन जुताई से मृदाजन्म्य रोगों का नियंत्रण

पिछली फसल के रोग ग्रसित भाग जो मृदा में मिल गए है, वे सूर्य की तेज किरणों से नष्ट हो जाते हैं। जुताई करने से ऊपर की मिट्टी नीचे वह नीचे से ऊपर आ जाती है, जिससे सतह पर पड़ी सूखी पतियां, पौधों की जड़े,डंठल वह खरपतवार नीचे दब जाते हैं, साथ ही नीचे परतों में पनप रहे कीड़े मकोड़े, खरपतवार के बीज अन्य रोग जनित कारक तथा निमेटोड सूत्रक्रम ऊपरी स्तर पर गर्मियों की कड़क धूप में आकर मर जाते हैं, यदि ग्रीष्मकालीन जुताई की जाए तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

गर्मी की जुताई कैसे करें-

गर्मी की जुताई 15 से.मी. गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यदि खेत का ढलानपूर्व से पश्चिम की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर यानि ढलान को काटते हुए करनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी व मिट्टी न बह पाये। ट्रैक्टर से चलने वाले तवेदार मोल्ड बोर्ड हल भी गर्मी की जुताई के लिए उपयुक्त है।

किस दिशा में जुताई करें ?

यदि खेत ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर हो तो, जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर करनी चाहिए। यदि भूमि ऊंची नीची है तो उसे इस प्रकार जोतना चाहिए कि मिट्टी का बहाव न हो, यानी ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें। यदि एकदम ढलान है तो टेढ़ी जुताई करना उपयुक्त होगा। तवेदार हल से जुताई करने पर

फसल के डंठल कटकर छोटे हो जाते हैं और साथ ही साथ भूमि में जीवांश की मात्रा को बढ़ाते है।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए मुख्य बातें

• ग्रीष्मकालीन जुताई हर दो-तीन वर्ष में एक बार जरूर करें।
• जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊँची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, तथा खेत वर्षा जल सोख लेता है।
• जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले बन सके, क्योंकि ये मिट्टी के ढेले अधिक पानी सोखकर पानी खेत के अन्दर नीचे उतरनेा जिससे भूमि की जलधारण क्षमता में सुधार होता है।
• किसान भाई यदि अपने खेतों की ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे तो निश्चित ही आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेगी बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेगी तथा खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी तथा खर्च की लागत भी कम आयेगी। जिससे कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अतः उपरोक्त फायदों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाईयों को यथा सम्भव एवं यथाशक्ति फसल उत्पादन के लिए हमेशा ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिये।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लाभ:

• मिट्टी की ऊपरी परत के टूटने व गहरी जुताई करने से मिट्टी बढ़ जाती है, और मिट्टी नरम एवं भुरभुरी होने से नमी संरक्षण दर भी बढ़ जाता है। फल स्वरूप पौधे के जड़ों को आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। वर्षा जल को अवशोषित करने से मिट्टी में वायुमण्डलीय नाइट्रोजन क्षमता बढ़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वता में वृद्धि होती है।
• ग्रीष्मकालीन जुताई क्रमबद्ध सुखाने और शीतलन के कारण मिट्टी दानेदार हो जाती है, एवं उसकी संरचना में भी सुधार होता है।
• ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जैविक तत्वों का अपघटन को तेजी से होता है, जिससे पौधों को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं।
• मिट्टी में वायु की पारगम्यता बढ़ने से पिछली फसलों और खरपतवार व कीटनाशक अवशेषों और हानिकारक एलोपैथिक रसायनों के क्षय में भी मदद मिलती है, जो नए उत्पादित पौधों के विकास को रोकते हैं।
• गर्मी के मौसम में मिट्टी की परतों के नीचे कई कीड़े व कीट पाए जाते हैं। गर्मी में जुताई कीटों के अंडे, लावां और प्यूपा मर जाते है, जिससे बाद की फसल में कीड़े और कीटों का खतरा कम हो जाता है,फलस्वरूप कीटनाशक की खरीद में किसान का खर्च कम गुना कम हो जाता है।



प्रकृति का पूजन

भी नहीं थीं। प्रकृति संरक्षण का कोई संस्कार अखाण्ड भारतभूमि को छोड़कर अन्यत्र देखने में नहीं आता है । जबकि सनातन परम्पराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। भारतवर्ष में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है।

ग्रह-नक्षत्र, पहाड़ और वायु देवरूप माने गए हैं। प्राचीन समय से ही भारत के वैज्ञानिक ऋषि-मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए कई मौकों पर गंभीर धूल कर सकता है। अपना ही भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए। ताकि मनुष्य को प्रकृति को गंभीर क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने का महत्वपूर्ण संस्कार है।

यह सब होने के बाद भी भारत में भौतिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति पदचलिंद हुई है। लेकिन, यह भी सच है कि यदि ये परंपराएं न होतीं तो भारत की स्थिति भी गहरे संकट के किनारे खड़े किसी पश्चिमी देश की तरह होती। हमारी परंपराओं ने कहीं न कहीं प्रकृति का संरक्षण किया है। जंगल को हमारे ऋषि आनंददायक करते हैं- ‘अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु।’ यही कारण है कि जीवन के चार महत्वपूर्ण आश्रमों में से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से ही है। हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का संभवतःन हुआ है। हिन्दू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है। वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण हिन्दू स्वभाव से वृक्षों का संरक्षक हो जाता है। सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में वन की रक्षा सर्वोपरि थी। चाणक्य ने भी आदर्श शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अरण्यपालों की नियुक्ति करने की बात कही है।

हमारे महर्षि यह भली प्रकार जानते थे कि पेड़ों में भी चेतना होती है। इसलिए उन्हें मनुष्य के समतुल्य माना गया है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भाँति सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं।

• ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी में उपस्थित कई रोग जनित कारक नष्ट हो जाते हैं, अतः जुताई द्वारा पौधों में रोगों के अवरोध के कारण किसान फफूंद नासक और कीटनाशकों की खरीद में राहत पा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ाती है तथा यह दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है।
• पादप परजीवी निमेटोड सूक्ष्मजीव है, प्रकृति में सर्वव्यापी, जो मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं व अनुकूल परिस्थिति आने पर फसल को नष्ट कर देते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल चक्र से निमेटोड को नियंत्रण किया जा सकता है,इस प्रकार नियंत्रण से लागत कम आती है।

• ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। गहरी जुताई और पलटने से खरपतवार नियंत्रण और खरपतवार नाशी का कम उपयोग ग्रीष्मकालीन जुताई का एक बड़ा फायदा है। कॉस, मोथा आदि के उखड़े हुए भागों को खेत से बाहर फेंक देते हैं। अन्य खरपतवार उखड़ कर सूख जाते हैं। खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फसलों और खरपतवारों के बीच एक ही पौधे के पोषक तत्व के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, जिससे उत्पादकता बढ़ जाती है।

• बारानी खेती वर्षा पर निर्भर करती है अतः बारानी परिस्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचयन करने लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना नितान्त आवश्यक है। अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से 3 प्रतिशत बरसात का पानी खेत में समा जाता है।

• ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी कटाव में भारी कमी होती है अर्थात् अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि गर्मी की जुताई करने से भूमि के कटाव में 5 प्रतिशत तक की कमी आती है।

• ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाते हैं जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते है।

गर्मी की जुताई करते समय रखें सावधानी:-

• मृदा के बड़े बड़े ढेले रहे, तथा मिट्टी भुरभुरी न हो पाये क्योंकि गर्मी में हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव की समस्या हो जाती है।

• ज्यादा रेतिले इलाकों में गर्मी की जुताई न करें।

नियम-

ग्रीष्मकालीन जुताई करने से मिट्टी के अंदर सूर्य की रोशनी और हवा प्रवेश करती है। सूर्य की तेज किरणों से मृदा के अंदर खरपतवार के बीज, कीट, अंडे, लट्टे आदि नष्ट हो जाती हैं। जुताई करने से खेत की प्राथमिक क्रियाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाती है एवं मिट्टी के कणों की रचना भी दानेदार हो जाती है, जिससे मिट्टी में वायु संचार, भूमि के अंदर नमी का संरक्षण एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जुताई द्वारा मिट्टी ढीली हो जाती है एवं उसमें ढेले बन जाते हैं जो कि बरसात के पानी को सोख लेते हैं साथ ही साथ अवरोधक बनकर पानी को खेत के बाहर जाने से भी रोकते हैं। अतः पानी खेत में ही खड़ा होकर भूमि की परतों में चला जाता है जिससे जलस्तर भी बढ़ता है जबकि बिना जुताई वाले खेतों में सिर्फ पानी बहकर खेतों से बाहर चला जाता है बल्कि अपने साथ मिट्टी के उपजाऊ परत, खाद एवं जीवाश्म को भी बहा कर ले जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है और ऊर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस से सबसे बड़ी समस्या यह है कि पैदावार कम हो जाएगी, किसानों की आमदनी कम होगी एवं साथ ही साथ मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति को वापस लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत, धन व खाद लगता है।

पी.एल. पटेल

श्रीम लीडर सच्ची खेती, वाग्धारा

विकास परसराय मेश्राम

कार्यक्रम अधिकारी सच्ची खेती, वाग्धारा

“

वेटिया वेटिया वाड़ करें

अने कागला बएं ने भागी पड़े

”



जनजातीय क्षेत्र के किसान भाईयो बहनों, महान कोतवाल, स्वराज मित्रो, स्वराज सेवको एवं मेरे स्वराज परिवार व प्यारे बच्चो

जय गुरु !!!

मैं चर्चा कि शुरुआत होली कि शुभकामनाओं के साथ करता हूँ चुंकि अब हमारे खेत का समय शुरु होने वाला है तो उसको लेकर के भी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे कई सानियों के परिवारो में नोतरा होगा, बांगडे होंगे, शादीया होंगी कई कार्यक्रम होंगे तो उसके लिए भी शुभकामनाएँ देता हूँ।

और चर्चा करुंगा कि किस प्रकार से हम हमारी संस्कृति और हमारी विरासत में मिली हुई सीख परम्पराओ को हमारे जीवन में सफलता और स्वराज में कैसे बढ़ा पाए। चुंकी पिछले कई अंको से मैं आपके साथ समय समय पर विशेष विषयो व अन्य विषयो पर चर्चा करता हूँ परन्तु इस बार मैं अपने आपको आपसे नोतरे पर चर्चा करने से नही रोक पा रहा हूँ। चुंकि नोतरा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश विदेश में घुमने पर ही नही बल्कि यह हमारे स्थानीय कई नागरिको द्वारा व आदिवासी भाई बहन और जो पढ़े लिखे है उनके द्वारा भी कई बार चर्चा में यह कहा जाता है कि “आ नोतरा तो मने हेकी ने खाईर्यु है, आ नोतरा उपले पाने नी आवा दे” और उस समय मेरे मन में यह प्रश्न होता है कि क्या हमारे बापदादा, हमारे पूर्वज किसी गलत परम्परा को प्रारम्भ करके गए है परन्तु ऐसा नही है, मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ और मैने भी कई नोतरे बांगडे में भाग लिया है।

एक समय वो हुआ करता था जब नोतरे में जाने वाला व्यक्ति अपने खुद का अनाज साथ में बांधकर के पोटली में लेकर के जाता था और जिसके घर कार्यक्रम होता था वहा पर सभी लोग अपना अपना अनाज व दाना इकठ्ठा करते जिसकी जैसी हेसियत होली वो उसके अनुसार कुछ मीठा बनाता नही तो दाल चावल बनाता सभी साथ में मिलकर बैठकर खाते और जितना उसने सहयोग दिया था उसके उपर कुछ सहयोग वहा पर प्रदान करता था और इतनी सामुहिकता थी कि उस पुरे को जो सहयोग मिलता उसे समाज के लोग, गांव वाले रिस्तेदार बैठ करके उसका हिसाब लगाते और जिसके घर पर कार्यक्रम होता उसे पुछते कि इन पैसो का तु क्या करंगा, कहा उपयोग में लेगा और उन पैसो का हिसाब होता उससे वह उसका कर्ज व उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।

बात है 1995 कि मैं रात को किसी गांव में रुका हुआ था और एक वृद्ध ने मेरे सामने कहा “आ नवअ उखर न सोरअ गाडंअ बरे ऐम नोतरा मे दारु कोण लावतु होगा अमारा बापदादा जीवता हता कइ दाडे इनअना पईसा अमे खरस न ती करया ने आणा में वाजा वजावडा हारु स्पीकर लईने लाईर्यु है और उसी समय घटना घटित हुई स्पीकर को डाइरेक्ट लाईन से जोड दिया, जिससे स्पीकर और जो सिस्टम जल गया इनके जलने पर ट्रांसफरमर उड़ गया और बिजली विभाग के लोग आ करके उस पर केस करने कि धमकी देने लगे उस धमकी के बाद उस मामले को रफादफा करवाया गया। उससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ साथ ही गांव के कई लोग इस स्थिति पर बहुत ही बडे दु:खी हुए इस पर कई लोगो ने ये कहा कि उन्हें ये करने कि कहा जरूरत थी क्या हमारे ढोल,हमारे गाने, क्या हमारी परम्परा गलत थी ये बात 25 साल पुरानी है इससे हम अंदाजा लगा सकते है कि आज हमारी परिस्थिया विगडी है, सुधीरे है या फिर बदली है।

में युवाओं से, हमारे स्वराज सेवको से, स्वराज मित्रो से हमारे किसान भाई बहनो से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें सोचना होगा कि हमारी परम्परा में जो हमारे पूर्वज स्थापित कर गए थे चाहे वो नोतरा हो, हाट हो, भाजयेडा हो, बांगडा हो, हलमा हो या फिर नाता हो कोई भी विषय वस्तु हो सकती है। इन सभी के पीछे कुछ तो अच्छाईयां रही होगी और उन अच्छाईयो को हमने गौण कर दिया उसे इस तरह से पेश करते है कि बाहरी समाज जो इन विषय वस्तु को नही समझता वो इसे बुवाई के रुप में प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से बीस वर्ष पुरानी एक घटना थी जैसे घाटोल में हाट भरता था और हमारे यहा पर एक जिलाधीश महीदय थे और वो आए और उन्होने कह दिया यह हाट बच्चो को विगाडता है बच्चे स्कूल छोडकर इस हाट में आते है। यह कहकर हाट पर प्रतिक्रम्य लगा दिया गया। क्या हाट हमारे लिए एर आवश्यक है?

नही ऐसा हो नही सकता क्योंकि हाट वो जगह थी जहां पर हर व्यक्ति कि आवश्यकता व जरूरत के सामान का आदान प्रदान होता था उसे उचित मुल्य मिलता था उसकी जरूरत कि चीजे सही दाम पर मिलती थी उसकी एक ही बार में आवश्यकताओ कि पूर्ति होती थी। और भी कई वस्तुए इससे जुडी हुई होती। क्या हम अपने तौर तरीको को फिर से सोचने समझने कि आवश्यकता महसुस करते है तो पुनः में अपनी उसी बात पर आता हूँ कि अभी समय है हमारे में से कई परिवारो में नोतरे होंगे नोतरे से आने वाले इसो का सही उपयोग यह एक सहकार है, यह एक बैंकिंग है। पढ़े लिखे बाजार में रहने वाले लोग भी उसे विभिन्न नाम देते है कोई इसे वीसी कहता है, कोई सामुहिक बैंक कहता है, कोई समिति कहता है, कोई क्लब कहता है, कोई किट्टी क्लब कहता ऐसे कई नाम दिए हुए है। जो ये लोग अभी कर रहे है यह तो हमारे बाप दादा पहले ही कर चुके है तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से यह हमारे अपने समाज को आगे बढाने में सहायक हो सकता है और यह तभी सहायक हो सकता है जब हम उससे आने वाले पैसे उस सहयोग को सही जगह पर सही दिशा में काम पर लगायेंगे। किसी भी प्रकार के गैर खर्चों में व्यय नही करेंगे और उस परम्परा को परिभाषित करेंगे तो हम हमारी पीढियो को अच्छे संस्कार दे पाएंगे।

इसके अलावा एक विशेष आग्रह करना चाहुंगा गर्मी आने वाली है अभी नई नई खेत कि कटाई हुई है गर्मी कि जुताई बहुत ही महत्वपुर्ण है अगर जुताई करेंगे तो गर्मी लगंगी तो गर्मी से मिट्टी के अन्दर जो किडे होंगे वो मेरगे उर्वरता मजबूत होगी, नीचे कि मिट्टी निकलकर के उपर आयेगी और बरसात का पानी आते ही सीधा अन्दर जायेगा और पहली बरसात का पानी अन्दर जाता है तो मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे हम विशेष रुप से ध्यान रखे और अन्तिम बात के तौर पर गर्मी में खेती करने वाले मेरे किसान भाईयो व बहिने को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ मुंग कि खेती जीवन को बदलने वाली खेती है। गर्मी में सख्नी का उत्पादन परिवार को सुकून व समृद्ध बनाने का साधन है। और नरोग का काम आपका अपना काम है। आप अपने खेत का काम अपने घर पर ही रहकर करें और ईमानदारी से करें हर हाथ को काम हर काम का पुरा दाम तो हमारा गांव और हमारा परिवार कभी नही पिछडा

जय हिन्द !!!

आपका अपना

जयेश जोशी, वाग्धारा



..... जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई की गतिविधियाँ

हिरन

सभी पाठक साथी को जय गुरु !!

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई हिरन में आने वाले अप्रैल माह में की जाने वाली गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। यह गतिविधियाँ गाँव में मौजूद जनजातीय स्वराज संगठन, उनके सक्षम समूह, ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समितियों द्वारा की जायेगी।

ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति की मासिक बैठक

इस माह इकाई के 356 गाँव में ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में ग्राम चोपाल होगी जिसमें गाँव के विभिन्न मुद्दों पर लोग जिम्मेदारी लेंगे। इस बैठक में अलग-अलग हितधारक जैसे सरपंच, टीचर, वार्डपंच, आशा, सहायिका एवं अन्य लोग शामिल होंगे जिसके कारण गाँव की प्राथमिकता सबकी सहमती के साथ अच्छे से तय की जा सके। इसी के साथ गाँव के लोग अपने-अपने हिसाब से जिम्मेदारी लेंगे जिसके हिसाब से कार्य को प्रगति मिले।

सक्षम समूह की सच्ची खेती परसहभागी सीख चक्र की बैठक

इस माह सक्षम समूह की महिला बहनों के साथ स्वराज मित्र द्वारा सहभागी सीख चक्र की बैठकों का आयोजन किया जायेगा जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज पर चर्चा निम्नलिखित विषयों पर होगी।

• **जल**:-जल संरक्षण हेतु महिलाओं के साथ मल्लिचंग के बारे में चर्चा होगी जिसमें अलग-अलग प्रकार के मल्लिचंग के तरीकों पर बात जैसे खाखरे के पत्ते आदि जिससे जमीन में नमी ज्यादा समय तक बनाई जा सके।

• **जंगल**:-जंगल के बचाव और दैनिक उपयोग के ऊपर चर्चा होगी जिसमें हर प्रकार के पौधे और उनके उपयोग पर बात की जावेगी। इस चर्चा के बाद उनके संरक्षण और रख-रखाव के तरीकों पर कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा।

• **जमीन**:- जल संरक्षण के लिए इस माह महिलाओं के साथ मेडबंदी, कंट्रोल टैंच को लेकर बात होगी। इस विषय में उनके साथ तय किया जाएगा की नरेगा के माध्यम से किस प्रकार इन कामों को मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए करवाया जाये। साथ में कम्पोस्टिंग के ऊपर भी चर्चा होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में महिलाओं को बताया जाएगा।

• **जानवर**:-मवेशियों के उत्तम प्रबंधन के लिए इस माह पशुओं के लिए उपयुक्त मात्रा में चारों के इंतजाम करने पर होगी। इसमें प्रत्येक महिला को उसके घर में पशुओं की संख्या के हिसाब से जरूरत में लगने वाला चारे का किस प्रकार इंतजाम होगा उस पर बताया जाएगा।

• **बीज**:-इस माह के अंत तक कई सब्जियों को सुखाने पर बात होगी। साथ में कई ऐसे बीज जिनको सहेजकर रखना है उसके लिए महिलाओं को बताया जाएगा।

इसी के साथ जायद में होने वाली फसलों के लिए किस प्रकार खेतों का प्रयोग करना है उस पर चर्चा होगी। इन अलग-अलग विषय पर चर्चा के बाद महिलाओं को ये जानकारी देकर आगे पहुँचने पर भी प्रेरित किया जाएगा जिससे जानकारी का विस्तार होगा।

जनजातीय स्वराज संगठन की मासिक बैठक व वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण करना इस माह इकाई के 9 जनजातीय स्वराज संगठनों की मासिक बैठक का आयोजन होगा। पिछले चर्चा और अनुभव के आधार पर संगठन आने वाले महीने में रोजगार के कमी के कारण हो रहे पलायन पर चर्चा करोगी/वित्त वर्ष के आखरी माह होने पर लोग बस 30 दिन का कार्य दिवस ले पाएँगे, सभी को लाभ दिलवाने का इस चर्चा में समाधान के रूप में संगठन और ग्राम स्तरीय समिति द्वारा सभी को नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिलवाने पर बात होगी। इस उद्देश्य के लिए संगठन द्वारा रणनीति बनाई जाएगी और आगे आने वाले माह में इसपर काम होगा। इसी के साथ इस माह साल भर के संगठन के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों को एक वार्षिक कार्य योजना का रूप देना एवं रणनीति तैयार करना साथ ही संगठन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नियोजित करना आदि का कार्य किया जायेगा।

किशोरियों द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों के साथ बैठक

किशोरियों एवं महिला स्वास्थ्य को गाँव में आगे बढ़ने के लिए इकाई के सज्जनगढ़ ब्लॉक के 50 गाँव में किशोरियों बालिकाओं द्वारा गर्भवती और धात्री माताओं के साथ बैठक की जाएगी जिसमें उन्हें पोषण, साफ-सफाई, आंगनवाड़ी-स्वास्थ्य केंद्र की विभिन्न सुविधाओं आदि पर जागरूक करेंगे। इसमें स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा की भी मदद लेकर कार्य किया जाएगा।

**सोहन नाथ जोगी
यूनित लीडर - हिरन**

माही

॥ मेरे समुदाय परिवारों को राम-राम ॥

साथियों बड़ा हर्ष का विषय है इस माह हम हमारे पारम्परिक त्यौहार होली जिसमें हर वागड़वासी की आस्था एवं उल्लास जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार में हर वागड़वासी चाहे कहीं भी जग में निवास करता हो परन्तु होली का त्यौहार हमारे वागड़ अंचल में मनाया ही पसंद करेगा। साथियों अगर बात त्यौहारों की जाये तो हमारे यहाँ त्यौहारों का विशेष महत्व रहता है, इस माह में सभी समुदाय परिवार गेहूँ की कटाई में व्यस्त रहेंगे परन्तु हमें मिलकर हमारे जनजातीय स्वराज संगठन की वार्षिक कार्य योजना को लेकर भी जनजातीय स्वराज संगठन की मासिक बैठक में चर्चा की जाएगी।

साथियों इस माह में हमारे इकाई से विभिन्न संगठनों का वार्षिक कार्य योजना एवं विगत वर्ष की प्रगति पर दो दिवसीय कार्यक्रम कहे या संगठनों का आमूखीकरण कहे। जिसमें वर्तमान की स्थिति हमारा संगठन स्थानीय समस्याओं को समझ कर इसको किस प्रकार से खंड अथवा जिला स्तर पर अपनी बात को रखने में सक्षम दिख रहा है इस क्रम में इस बार हमारे विभिन्न संगठनों ने आगामी वर्ष की कार्ययोजना भी तय की है जो इस माह में आपके साथ चर्चा एवं इस पर आगामी रूपरेखा आपके साथ बैठकर तय करेंगे।

सच्चा स्वराज - जनजातीय स्वराज संगठनों के द्वारा काम करने की रणनीति: इस संबंध में सभी 9 जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया और जिम्मेदारी संगठन के अध्यक्ष, सचिव व उपाध्यक्ष को दी गई साथ ही सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित करवाई जाये और यह जानकारी जनजातीय स्वराज संगठन की मासिक बैठक में साझा की जाये।

वागधारा द्वारा दिये गये सामग्री पर चर्चा: बैठक में सच्चा स्वराज, सच्चा बचपन व सच्ची खेती पर चर्चा की गई स्वराज संगठनों द्वारा किया जाने वाला कार्य इस माह हलमा को अभ्यास में लाने के लिए गेहूँ कटाई के लिए मियांसा गाँव में ही हलमा किया जाना है। एवं हलमा परम्परा को आगे बढ़ाते हुए 40 गाँवों तक ले जाना है इसी प्रकार हलमा 9 स्वराज संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। एवं वर्तमान समय में जनजातीय समुदाय में फिजुल खर्च पर पांबंदी लगाने के संबंध में सभी स्वराज संगठनों के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है।

सच्चा बचपन - इस बार साथियों हमारे क्षेत्र में हमने विशेष कार्यक्रमों जैसे की सामाजिक सुरक्षा के कैंप हो या कोई बच्चा किसी भी प्रकार से अभी भी लाभान्वित नहीं हुआ है तो हमने अपने ग्राम स्तर पर ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति, सक्षम समूह हो अथवा 40 गाँवों के जनजातीय स्वराज संगठन के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों या वंचित लाभार्थी को योजना से जोड़ा एवं वर्तमान में जो इस कैंप के दौरान किन्हीं कारणों से वंचित रह गया हो तो भी उस पर कार्य प्रगति पर है साथियों आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है की आपके साथ मिलकर विगत 02 माह में हम 3500 वंचित लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में सक्षम हुए है साथ ही आगे भी यह क्रम जारी रहेगा।

साथ ही साथियों इस बार आपसे हम हर स्तर के संगठन से वार्तालाप करते है की हमारा गाँवों में अब बाल अपराध, बाल श्रम नहीं होने देंगे इसमें सिर्फ हमारा प्रयास सार्थक नहीं होगा साथियों आपको भी आगे आकर अपने गाँवों में जो भी बाल श्रम देखे उसको रोकना होगा और एक मिसाल पेश करनी होगी की हमारे गाँव में एक भी बाल श्रम नहीं है या हमारा गाँव बाल श्रम मुक्त है ... उम्मीद है हमारे संगठन के साथ मिलकर हमारे स्थानीय जन प्रतिनिधि इसको सार्थक बनाने में सहयोग करेंगे... आज का हमारा बच्चा कल के भारत का भविष्य बनेगा और उसमें हम सब मिलकर सहयोग करेंगे.....।

सच्ची खेती - साथियों हर गाँव में 20 महिलाओं के सक्षम समूह के साथ मिलकर हम बात खेती की करते है जिसमें आप सभी का सहयोग हमेशा रहा है और रहेगा साथियों आज हम 1000 गाँवों में 20000 महिला किसान अथवा परिवार के साथ मिलकर सच्ची खेती के घटक पर सीधा सवाँद करते है जिसमें अगर परिवर्तन की बात करे तो आज हमारे हर महिला किसान के हान पर पोषण वाटिका देखने को मिलेगी साथ ही यह महिलाएँ स्थानीय वनस्पतियों से किस प्रकार से कोनसी दवाई बनेगी एवं किस प्रकार से उपयोगी होगी इसकी पहचान बना पाने में परिपक्व दिखने लगी है। इसी क्रम में हमने इस बार पुनः हमारे जनजातीय स्वराज संगठनों के माध्यम से हर महिला को जायद हेतु मुंग एवं हर सक्षम समूह की महिला को सब्जी कीट पधुचाया है ताकि इन तीन से चार माह के अंतराल में सब्जी के माध्यम से खुद एवं अपने परिवार को पोषण दे पाएँ। साथियों इस रबी में हमने मिलकर हमारे देशी बीज को बचाने के लिए दौलत सिंह का गढ़ा में मक्का बीज हेतु तैयारी की थी जो अंतिम रूप में है और इस बार हम साथियों को पुनः खरीफ में मक्का बीज उपलब्ध होगा जिसको हम मिलकर बचाएँगे और अन्य किसानों तक पहुँचाएँगे।

साथियों कोरोना महामारी का पूर्णतया अन्त नहीं हुआ है जहा रहे मास्क लगाए लोगो से दो गज दुरी बनाए रखे... सर्दी नुखाम बुखार आने पर पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ “ थोड़ीसी लापरवाही होगी भारी “

**हेमन्त आचार्य
जे.एस.एस.एस.आई. लीडर, चाटोल**

मानगढ़

!! हेत्ता वागड़ वासीयो ने जय गुरु !!

सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आशा करता हूँ की रंगों से भरे इस त्यौहार ने आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भरे होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई होंगी। तो हर माह की तरह इस माह भी हम आपके समक्ष अपने कार्यों एवं विचारों को इस पत्रिका के माध्यम से आपके साथ साझा करने आए हैं और हर बार की तरह जो कार्य हमने समुदाय के साथ मिलकर किये है उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।

संगठन के सदस्यों का प्रशिक्षण : संस्था का मानना है की समुदाय का विकास समुदाय के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है इसलिए संस्था ने समुदाय के विकास के लिए संगठन बनाये है जो गाँव एवं पंचायत में विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने का प्रयत्न करते है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने संगठन के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जो दिनांक 3 - 4 मार्च को हुआ , इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य संगठन के सदस्यों के साथ गाँव में मौजूद समस्याओं को पहचान कर उनका स्थानीय समाधान ढूँढना था साथ ही आगामी वर्ष 2021-22 के लिए जो कार्य उनको करना है उसकी एक कार्य योजना बनानी थी ताकि उसके अनुसार वो साल भर उन मुद्दों या समस्याओं पर कार्य कर सके। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने जमीनी एवं ठोस समस्याओं को पहचानना सीखा साथ ही कौन सी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाये उसके बारे में भी विस्तार से जाना।

ग्राम चोपाल की बैठक : हर माह हमारे स्वराज मित्रों एवं सहजकर्ता द्वारा गाँव में ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति एवं अन्य समुदाय लोगों के साथ ग्राम चोपाल की बैठक की जाती हैं, ग्राम चोपाल की बैठक करने का मूल उद्देश्य गाँव की समस्याओं को जानकर उनका स्थानीय समाधान ढूँढना है साथ ही गाँव के विकास के लिए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर अन्य गाँव वालों को जागरूक करना है। इस बदलते दौर में आज गाँव के लोग भी एक साथ बैठना भूल चुके हैं एवं अपनी निर्भरता या तो सरकार या फिर अन्य प्रभावी लोगों पर रख दी है। लोग एक जगह बैठ पाएँ और अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल पाएँ इसी उद्देश्य से हमने ग्राम चोपाल की बैठकों का आयोजन किया है। इस माह की बैठक का विंडु हमने हलमा रखा था जैसा हम सभी जानते है की अब कटाई शुरू हो गयी है और लोग अपने खेतों पर कटाई के लिए लग चुके हैं तो इसी संदर्भ में हमने हलमा पद्धति के बारे में गाँव वालों को जागरूक किया ताकि वो अपनी इस परम्परा को जिसे वो भूल रहे हैं उसे याद रखे और इसके लाभ से अपने खेतों में आ रहे खर्च को कम करे साथ ही आपसी मेल भाव को भी बढ़ावा मिले जो की आदिवासी संस्कृति का एक मूल विचार है।

सब्जी एवं मुंग के बीज का वितरण : वागड़ क्षेत्र ग्रीष्मकालीन मुंग खेती के लिए प्रसिद्ध है और इस खेती की इस क्षेत्र में कई फायदे है-सबसे पहले तो यह एक कम दिनों में फकने वाली फसल है दूसरी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी ये काफी बढ़ाती है और साथ ही एक अच्छी आय का स्रोत है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने भी कुछ ऐसे किसानों का चयन किया जो गर्मी में मुंग की खेती करते हैं और उनकी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए विकसित किस्म के मुंग बीज जो सरकार द्वारा प्रमाणित की हुई है वो उनको उपलब्ध करवाया ताकि उनकी पैदावार बढ़ पाएँ एवं अगले वर्ष वो अन्य किसानों को भी बीज साझा करे ताकि उन किसानों की भी पैदावार में बढ़ोतरी हो पाएँ। इसके अलावा संस्था ने 2700 परिवार को सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराये ताकि जिन परिवार को पोषण की कमी होती है उनको पोषण सही समय पर मिल पाएँ और सच्ची खेती की जो बात संस्था करती है वो गाँव में परिवारों के पास हो और एक सुचांक के तौर पर वो गाँव के अन्य परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करे और गाँव में एक स्वराज की धारणा आ पाएँ।

**रोहित स्मिथ
जे.एस.एस.एस.आई. लीडर, आनन्दपुरी**



बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा... इसकी रोकथाम में समुदाय की भूमिका !

प्रिय पाठकों जैसा की मासिक पत्रिका वातों वागधारा नी के दसवें अंक में आपने जाना की कोरोना महामारी की वजह से काफी समय से स्कूल बंद थे जो की फरवरी - मार्च माह में 6 कक्षा से 12 कक्षा तक खुल गये थे तो उस समय हम सभी को मिलकर किन बातों का विशेष ख्याल रखना है ताकि हमारे बच्चें जब इतने अंतराल के बाद वापस से स्कूल जा रहे है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस माह हम इस पत्रिका का ग्यारवाँ अंक प्रकाशित कर रहे है, जिसमें सच्चा बचपन के तहत हम बात करेंगे बाल विवाह के सदसर्भ में। जिसमें मुख्यतः हम बात करेंगे की कानूनी रूप से बच्चों की शादी की सही उम्र क्या है, बाल विवाह के क्या दुष्प्रभाव है और बच्चें कैसे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते है और बाल विवाह को रोकने में सामुदायिक भूमिका क्या है ?

पाठकों जैसा की आप सभी जानते है की अभी गाँवों में खेतों से फसलों की




कटाई हो चुकी है और होली का त्यौहार भी मना चुके है। गत वर्ष जब हमने यह त्यौहार मनाया था उसके तत्काल बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में पैर पसार दिए और सभी जगह वहाँ की सरकारों द्वारा तालाबन्धी मतलब लॉकडाउन

की शुरुआत की गयी, जिससे हमारे जनजातीय समुदाय में भी नोतरा प्रथा के तहत होने वाले आयोजन नहीं हो सके, जिसमें मुख्य आयोजन हमारे समुदाय में होने वाली शादियाँ थी। आज एक वर्ष बाद वापस से होली का त्यौहार आ कर गया और लॉकडाउन भी नहीं था। इसलिए हम सभी में एक खासा उल्लास भी था। इस त्यौहार को लेकर, साथ ही साथ नोतरा के आयोजन के लिए भी। साथियों यह हम सभी भलीभाँति जानते है की इस बार हमारे समुदाय में शादियों का आयोजन भी बड़े पैमाने पर होने वाला है जो की आखातीज तक चलेगा और यह एक अच्छी बात है की इतने समय अंतराल के बाद हम सभी इस सामाजिक आयोजन का आनंद भी लेंगे लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है की कहीं हम इस सामाजिक मान्यता के जरिये हमारे छोटे बच्चों से उनका बचपन ना छीन लें। आपको मेरी बात यहाँ थोड़ी अजीब सी लगी होगी की एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ की इस बार हम सबको होली के साथ शादियों का भी आनंद लेना है और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ की छोटे बच्चों से उनका बचपन ना छीन लें। इसलिए यहाँ पर मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहूँगा की हमारे समुदाय में बहुत से परिवार अपनी आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर बच्चों के साथ साथ परिवार में छोटे बच्चों की भी शादी करवा देते है, जो की सीधे तौर पर उन बच्चों को दिए गये अधिकारों का उल्लंघन तो है ही साथ ही जिस उम्र में उनको अभी पढ़ना है, खेलना कूदना है और अपने भविष्य की नीव रखनी है ऐसे मैं हमारे ही समुदाय के साथी उनकी कम उम्र में शादी करवाकर उनका बचपन छीन लेते हैं। इसको हम कानूनी भाषा में बाल विवाह भी कहते है। इसी उम्र के और शादी के पक्ष में हमारे देश के अलग अलग समुदाय में अलग अलग मान्यता भी है, कोई समाज शादी की उम्र महिला के लिए 16 वर्ष और पुरुष के लिए 18 वर्ष समझता है, तो कोई समाज ये मानता है की बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए जिससे वे अपने जीवन के अनुभव जल्द ही प्राप्त कर ले और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। उनका ये मानना है अपने उनकी ये सोच एक रूढ़िवादी सोच की ओर इशारा करती है, परन्तु वे इस बदलती दुनिया में अपने बच्चों और अपने आने वाले समाज की नींव को कमजोर करते है जिससे वो अनजान है, जिसका परिणाम वो कहीं न कहीं देखते भी है परन्तु उसे अनदेखा कर देते है।

इसी का ही एक दुष्परिणाम बाल विवाह है, जिससे समुदाय का मानना है कि यदि बच्चों की शादी जल्द कर दी जाये तो अपने जिम्मेदारियों से जल्द अवगत हो जाते है और अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करते है। समुदाय जाने अनजाने में इस अभिशाप को बढ़ावा देते है, उन्हें इसका परिणाम मालूम नहीं है और अपने बच्चों के जीवन को अंधकार में ढकेल देते है। इसी बाल विवाह जैसी सामाजिक कुर्रूति या समस्या के कारण बच्चे अपने बचपन को नहीं जो पाते और विवाह जैसे बंधन में बंध जाते है और अपने छोटे से कंधे पर जिम्मेदारियों के तले दब जाते है, जिससे वे न तो अपनी शिक्षा को पूरा कर पाते है और ना ही अपने भविष्य का निर्माण कर पाते है।

बाल विवाह केवल लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी अभिशाप है। लड़की का जब बाल विवाह हो जाता है, तब वो न तो अपनी



शिक्षा को पूरी कर पाती है जिससे समुदाय में बालिका शिक्षा का मुद्दा भी बढ जाता है। इसके साथ ही लड़कियों शादी के उपरांत कम उम्र में ही माँ बन जाती है, जिसके लिए न तो वे खुद और न ही उनका स्वास्थ्य तैयार रहता है, जिसके

परिणामस्वरूप उनकी शारीरिक कमजोरी भी बढ़ती जाती है। इसी कमजोरी के कारण वो प्रसव के दौरान ही दम तोड़ देती है। जिससे अनेकों बच्चों को अपनी माता के बगैर अपना जीवन बिताना पड़ता है जिससे हमारे समाज में ऐसी समस्या व्याप्त है जो बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों के रूप में समाज में है। साथ ही साथ जो बच्चें पैदा होते है वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते है जिसमें से बहुत से बच्चों की तो जन्म के समय या कुछ देर बाद मृत्यु तक हो जाती है और जो जीवित रहते है वह जीवन भर जिंदगी की कशमकश से लड़ते रहते हैं। इसी के साथ ही समाज में बच्चों के पालन पोषण में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा लड़कियों को शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बनता है। बालविवाह लिंगभेद, बीमारी एवं गरीबी के भंवरजाल में फंसा देता है। जब वे शारीरिक रूप से परिपक्व न हों, उस स्थिति में कम उम्र में लड़कियों का विवाह कराने से मातृत्व सम्बन्धी एवं शिशु मृत्यु की दरें अधिकतम होती हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए दुनिया में काम करने वाली संस्था यूनिसेफ की “विश्व के बच्चों की स्थिति-2009” रिपोर्ट के अनुसार 20-24 वर्ष आयु वर्ग की भारत की 47 प्रतिशत महिलाएँ कानूनी रूप से मान्य आयु सीमा-18 वर्ष से कम आयु में ब्याही गईं, जिसमें 56 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से थीं। यूनिसेफ के अनुसार (विश्व के बच्चों की स्थिति-2009) विश्व के बाल विवाहों में से 40 प्रतिशत भारत में होते हैं।

हमारे आदिवासी समुदाय में भी ऐसी कुप्रथाएँ अधिक मात्रा में फैली हुयी है। हमारे समुदाय में लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए दो शादियाँ करते है। वो इसी चक्रवर्ती में बाल विवाह को बढ़ावा देते है, अपने रतबे से कमजोर परिवार की लडकी से शादी कर लेते है। जिसके कुछ समय उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है और समाज में कम उम्र में विधवा होने की समस्या समाज में पनपती है, जो अपने आप में एक बड़ी सामाजिक समस्या है। बाल विवाह जैसी प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। बाल विवाह के कारणों पर यदि बात की जाये तो हम समझेंगे की कौनसे ऐसे कारण है जिससे समाज में बाल विवाह जैसी प्रथाएँ



पनप रही है :

■ गरीबी
■ लड़कियों की शिक्षाका निचला स्तर
■ लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना
■ सामाजिक प्रथाएं एवं परम्पराएं
बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने अपनी ओर से भी कानूनों का निर्माण किया है, बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1९२९ में पारित किया गया था। बाद में सन् १९४९, १९७८ और २००६ में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए १८ वर्ष और बालकों के लिए २१ वर्ष निर्धारित की गई है।जिससे वो इस अभिशाप को रोकने में कुछ हद तक सफल हुयी है ।

हमारे देश की सरकार द्वारा भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ के तहत यह स्पष्ट किया गया है की बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उन दोनों को या दोनों में से किसी एक को शादी के बंधन में बाँधा जाता है तो यह एक प्रकार से कानून का उल्लंगन है और यह बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं ।

कानून के तहत क्रान्ती सज़ा के प्रावधान :

बाल-विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड

जो कोईअठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल-विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास सेजिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी,या

वाग्धारा संस्था द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन के प्रयास २४ घंटों में विद्यालय में उपस्थित हुए व्याख्याता !

हेलो चाइल्ड लाइन हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोना ड्रंग्र में हम ४२३ समस्त बालक बालिकाएं विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। साथ ही साथ हमारे यहां पर विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय जी का पद भी रिक्त है एवं यहां पर हरि मोहन जी मीणा जो भूगोल विषय के व्याख्याता है तथा प्रधानाचार्य का दायित्व भी उन्ही को दिया गया है, परंतु समय-समय पर प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा अवकाश लेकर एवं अपने गांव जयपुर में चले जाने के कारण हमारे समस्त विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं की पढ़ाई बाधित होती है हम लोगों ने पूर्व में भी कई बार इस संबंध में आगे अधिकारियों को अवगत करवाया परंतु कुछ कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही साथ हमारे ११वीं एवं १२वीं कक्षा के प्रैक्टिकल भूगोल में अभी तक अध्यापन पूरा नहीं करवाया गया । वर्ष का पूरा सत्र होने को आ गया परंतु यहां पर पढ़ाई नाम मात्र की नहीं हुई है इसीलिए आप हमारी मदद करें हमारी आपसे आशा है। क्योंकि हमे चाइल्ड लाइन १०९८ के प्रचार -प्रसार के दौरान बताया गया है की चाइल्ड लाइन पर सूचना आने के २४ घंटे के भीतर उस पर कार्यवाही की जाती है चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक परमेश पाटीदार द्वारा बताया गया कि गांगडतलाई ब्लॉक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांगडतलाई की

जुर्माने से,जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

बाल-विवाह का आयोजन करने के लिए दंड

जो कोई किसी बाल-विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या आयोजित करेगा वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं थाकठोर कारावास सेजिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी,दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

बाल-विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करना और उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड (१) जहां कोई बालक बाल-विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता-पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत मेंबालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल-विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से,जिसकी अवधिदो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा,दंडनीय होगा : परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह

अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु सामुदायिक भूमिका :

१. गाँव स्तर पर बाल विवाह को रोकने में बाल पंचायत की भूमिका - बाल विवाह रोकने को लेकर समुदाय स्तर पर बच्चो के साथ संवाद हेतु बाल पंचायत का गठन कर बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं को रोकने हेतु एक प्रयास समुदाय स्तर पर किया जा रहा है । बाल पंचायत के माध्यम से एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया है, जिससे की समुदाय स्तर पर बच्चो से जुड़े मुद्दों को समझा जा सके साथ ही उनकी मानसिक परिस्थिति में भी वर्तमान परिपेक्ष्य को मजबूत किया जा सके । बाल पंचायत में बच्चे अपने से जुड़ी सामाजिक कुरीतियाँ जैसे –बाल विवाह, बाल श्रम, बाल हिंसा आदि समस्याओ पर अपनी जानकारी बढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े है । बाल पंचायत बच्चो को एक ऐसा वातावरण देती है जिससे वे अपनी समस्याओ को गहनता से अध्ययन करते है एवं उनके द्वारा वो अपनी बातों से अपने से जुडी समस्याओ पर समुदाय का ध्यान केन्द्रित करते है । बाल पंचायत में सभी बच्चे अपने ग्राम का प्रतिनिधित्व करते है और उस गाँव की ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति में प्रत्येक माह अपनी भूमिका निर्धारित करते है । जिससे वे अन्य बच्चो की जानकारी को समिति में साझा कर समिति का ध्यान उन ओर खींचते है । इसके साथ यदि पंचायत के बच्चो के साथ उनसे जुड़े कानूनों पर भी बात की जाती है, जिससे वो उनके प्रति जागरूक होते है, जिसके परिणामस्वरूप वे बच्चो से जुड़े अपराध जैसे- बाल विवाह आदि पर अपनी चाइल्ड हेल्पलाइन (१०९८) के माध्यम से ऐसे कुरीतियों का नाश

दिनांक १९ मार्च २०२१ को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ पूर्व में भी हरिमोहन के द्वारा लापरवाही होने के कारण नोटिस दिया जा चुका था आपका पत्र प्राप्त होते ही इस विषय में कार्यवाही कर दी गई है । इस विषय में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है चाइल्ड लाइन १०९८ वाग्धारा की कार्यवाही का असर यह हुआ कि सूचना मै कार्यवाही होने के बाद विद्यालय समय में १९ मार्च २०२१ को व्याख्याता हरिमोहन मीणा विद्यालय में उपस्थित हुए एवं अपनी बात को रखा गया । मै मेरे परिवार में कुछ सामाजिक परेशानी होने की वजह से घर गया था साथ ही मेरे द्वारा विभाग को अवगत किया गया था एवं इस बार मुख्य आवास छोड़ने की सूचना भी दी थी परंतु मै मानता हूँ कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मेरे अलावा कोई भी व्याख्याता यहां पर कार्यरत नहीं है एवं समस्त प्रकार के कार्य भी व्याख्याता के तौर पर और प्रधानाचार्य के दायित्व की जिम्मेदारी भी मुझ पर है अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा परन्तु मैं अब जानता हूँ की परीक्षाएं नजदीक है इसीलिए मैं अब परीक्षा में बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दूँगा इसी के साथ बालकों के उज्वल भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा ।

मनरेगा कार्य हेतु मांग पत्र की जानकारी

रोजगार मांग हेतु आवेदन पत्र फार्म नंबर ६ का प्रारूप
महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार मांग हेतु आवेदन श्रीमान
सचिव, ग्राम पंचायत...../ कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति..... महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत मुझे/हमें निम्नानुसारअकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करावे L हम सभी ५ श्रमिक एक ही समूह में काम करने के इच्छुक है / आवेदन ५ से कम श्रमिकों का होने के कारण हमें किसी भी समूह में सम्मिलित कर लिया जावे L

क्रम संख्या	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	परिवार के मुखिया का नाम	जॉब कार्ड नंबर	चाहे गये उनके रोजगार का विवरण	बैंक/ जी एस एस /पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खता नंबर	श्रमिक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
१							
२							
३							
४							
५							

प्राप्त रसीद

क्रम संख्या-१पर दर्ज आवेदक श्री..... सहित अन्य..... आवेदकों का नरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचा यत..... से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र दिनांक..... को प्राप्त हुआ L

हस्ताक्षर
(सर्पंच /वार्ड पंच/ ग्राम सेवक/ रोजगार सहायक/ अधिकृत आवेदन प्राप्तकर्ता नाम..... पदनाम.....

कार्य के प्रति आवेदन और मांग को दर्ज करना –

१.मनरेगा में प्रत्येक जॉबकार्ड धारी परिवार के सदस्य की उम्र यदि १८ वर्ष से अधिक हैं वो (अकुशलकार्य) मजदूरी के लिए मांग कर सकता हैं

महुआ

महुआ वागड़ अंचल का एक महत्वपूर्ण पेड़ है और यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है । लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ – साथ जंगल नष्ट होने के कारण आज यह पेड़ यहाँ विलुप्त होता जा रहा है । इस लेख में मैं आप सभी को इसे बचाने की अपील करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आगामी मानसून मे आप सभी महुआ का एक – एक पेड़ जरूर लगायेंगे ताकि पुरखो के इस खजाने को आप आगामी पीढ़ी को दे सकेंगे । आओ जानते है इसके गुणों के बारे में, यह एक भारतीय उष्णकटिबन्धीय वृक्ष है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है जो लगभग २५ मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकता है। इसके पत्ते आमतौर पर वर्ष भर रहे रहते हैं। यह पादपों के सपोटेसी परिवार से सम्बन्ध रखता है। यह शुष्क पर्यावरण के अनुकूल ढल गया है, यह मध्य भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक प्रमुख पेड़ है।

प्रजातियाँ

भारत में इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी भारत में इसकी लालभंग १२ प्रजातियां पाई जाती हैं जिरमें 'ऋषिकेश', 'अश्विनकेश', 'जटायुष्ण' प्रमुख हैं। ये महुआ के मुकाबले बहुत ही कम उम्र में ४-५ वर्ष में ही फल-फूल देने लगते हैं। इसका उपयोग स्वगंध बनाने के लिए लाया जाता है तथा इसके पेड़ महुआ के मुकाबले कम उचाई के होते हैं।

फूल
इसकी पत्तियाँ फूलने के पहले फाल्गुन-चैत्र में झड़ जाती हैं। पत्तियों के झड़ने पर इसकी डालियों के सिरों पर कलियों के गुच्छे निकलने लगते हैं जो कूची के आकार के होते है। इसे महुए का कुचियाना कहते हैं। कलियाँ बढ़ती जाती है और उनके खिलने पर कोश के आकार का सफेद फूल निकलता है जो गुदरा और दोनों ओर खुला हुआ होता है और जिसके भीतर जीरे होते हैं। यही फूल खाने के काम में आता है और 'महुआ' कहलाता है। महुए का फूल बीस-बइस दिन तक लगातार टपकता है। महुए के फूल में चीनी का प्रायः आधा अंश होता है, इसी से पशु, पक्षी और मनुष्य सब इसे चाव से खाते हैं। इसके रस में विशेषता यह होती है कि उसमें रोटियाँ पूरी की भाँति पकाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग हरे और सूखे दोनों रूपों में होता है। हरे महुए के फूल को कुचलकर रस निकालकर पुरियाँ पकाई जाती हैं और पीसकर उसे आटे में मिलाकर रोटियाँ बनाते हैं। जिन्हें 'महुअरी' कहते हैं। सूखे महुए को



कर सकते है ।

बाल पंचायत के सदस्य यदि अन्य बच्चो को लेकर भी अपनी भूमिका समझते है तो उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके साथ भी अपनी बैठको का संचालन करना चाहिए ।

ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति और बाल संरक्षण समिति की भूमिका: बाल पंचायत द्वारा गाँव की ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति (VDCRC) एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) को अपने से जुडी सामाजिक कुरीतियों के प्रति अवगत कराना होगा । जिससे इन समितियों के सदस्य व समुदाय बच्चो से जुड़े मुद्दों के प्रति सजग हो जाये और इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से अपना कार्य करें । यदि इनसमितियों के द्वारा अपना कार्य सही ढंग से नही किया जाता है या किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वे चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ की मदद लेकर उनको प्रभावशाली बना सकती है । VDCRC बाल विवाह जैसे मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर एक बाल मैत्री वातावरण निर्माण को लेकर कार्य करें और लोगों को बाल विवाह से बच्चों की जिंदगी में पड़ने वाले कुप्रभावों से परिचित करवाएँ । अगर बाल विवाह की सुचना प्राप्त होती है तो उसको रूकवाने के लिए तात्कालिक कार्यवाही VDCRC एवं PLCPC के द्वारा की जाएँ ।

माजिद खान,
प्रोग्राम लीड-बाल अधिकार
सच्चा बचपन, वाग्धारा

टीम द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा समय-समय पर विद्यालय में जाकर बालकों को बताया जाता है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप तुरंत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की सेवा १०९८ जो एक टोल फ्री नंबर है उस पर तुरंत डायल करें एवं अपनी शिकायत दर्ज करवाएं वहां पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी एवं आपको अवगत भी करवाया जाएगा इस मामले में भी यही हुआ बालकों की समस्या आने पर त्वरित प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया एवं तुरंत वहां पर बालकों की समस्याओं का निदान हुआ है अंत में टीम के द्वारा सूचनाकर्ता बालको को अवगत करवाने पर संतोष जाहिर करते हुए कहा की हमने तो यह सोचा भी नहीं था कि हमारे द्वारा कई बार इस मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया था परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई आपने तो सूचना देने के कुछ घंटो बाद ही कार्यवाही शुरू कर दी एवं हमारी समस्याओं का निदान हुआ और भूगोल विषय के व्याख्याता हरिमोहन जी को २४ घंटों के भीतर विद्यालय में उपस्थिति देनी पड़ी यह जानकर आज हम खुश है।

चाइल्ड लाइन १०९८ वाग्धारा
टीम सदस्य - **कमलेश बुनकर**

२.कार्य के लिए आवेदन में कम से कम १४ दिनों की मांग होनी चाहिए

३.एक जॉब कार्ड धारी परिवार १ वित्तीय वर्ष में अधिकतम १०० दिन का रोजगार पाने का हकदार होगा।

४.रोजगार मांग पत्र ग्राम पंचायत में जमा किया निर्मलखित जाता है लेकिन यह आप ब्लॉक विकास अधिकारी को भी जमा करवा सकते हो जो केवल "वैकल्पिक विकल्प" के रूप में जमा होगा।

५.रोजगार के लिए दिए जा रहे मांग पत्र का होना आवश्यक हैं।

■ परिवार के जॉब कार्ड की पंजीयन संख्या ■ दिनांक का उल्लेख कब से कब तक रोजगार चाहिए ■ रोजगार मांग के दिनों की संख्या

६.रोजगार की मांग सादे कागज या प्रिंटेड फार्म पर जो कि ग्राम पंचायत में निशुल्क उपलब्ध होता हैं । दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं

७.रोजगार के लिए मांग पत्र जमा करने के लिए आप अपने क्षेत्र में वार्ड पंच,आंगनवाड़ी कार्मिकों,विद्यालय के शिक्षकों,एस एच् जी ग्राम स्तरीय राजस्व कार्मिकों,मनरेगा श्रमिक समूह को मांग पत्र जमा कर प्राप्त रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

८.सदस्य एक ही समय में एक से अधिक पखवाड़े के लिए रोजगार की मांग कर सकता हैं जिसमे सभी मांग पत्र में रोजगार पाने की दिनांक अलग-अलग होनी चाहिए

९.जिसको रोजगार दिया जा रहा हैं उसको ग्राम पंचायत द्वारा पत्र या फिर सार्वजानिक नोटिस जारी कर सूचित किया जायेगा। यदि किसी सदस्य ने अपने मोबाइल नम्बर दे रखा हैं तो उसको एसएमएस द्वारा सुचना प्राप्त हो जाएगी।

१०.ग्राम पंचायत द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार ब्लॉक विकास अधिकारी को ये सुचना देनी होगी की पंचायत में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा और कितने को नही और उसका क्या कारण हैं।

११.कार्य के लिए मांग पत्र जमा करने और प्राप्ति रसीद देने से मना करने पर मनरेगा की धारा २५ के अंतर्गत उल्लंघन माना जायेगा। बेरोजगारी भत्ता –

१.यदि आवेदक को रोजगार के लिए मांग पत्र जमा करने के १५ दिन के भीतर रोजगार नही मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा ।

२.बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रथम ३० दिनों के लिए मजदूरी दर का २५% होगा और बाकी के दिनों के लिए मजदूरी दर का ५० %रहेगा।

३. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान १५ दिन के अंतर्गत आवेदक के बैंक खाते में होने का प्रावधान हैं

४.यदि ग्राम पंचायत द्वारा सूचित करने पर भी आवेदक उस कार्य को करने के लिए उपस्थित नही होता है तो वो अवधि जिसके किये मांग की गई है समाप्त हो जाती हैं और उसको बेरोजगारी भत्ते का हक नही मिलेगा।

५.बेरोजगारी भत्ते की मांग स्वयं आवेदक द्वारा मनरेगा वेबसाइट पर या फिर किसी ई-मित्र पर जा कर आवेदन कर के कर सकता हैं

६.आवेदक एक बार बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करने के ३-माह तक दोबारा आवेदन नही कर सकता हैं।

७. बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक को प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक हैं ।

धनराज कुमारवत
कार्यक्रम अधिकारी, सच्चा स्वराज, कुशलगढ़ इकाई

फायदेमंद हैं।

हर तरह की बीमारी से छुटकारा दिलाता है महुआ, जानें इसके फायदे

कफनाशक होता है महुआ का फूल

महुआ का फूल कफनाशक होता है। इसे किसी भी रूप में खाया जाए तो ये जुकाम और कफ से बचाता है। इतना ही नहीं जिन्हें ब्रोकाइटिस या लॉस में कफ जमने की दिक्कत हो वह महुआ की छाल का काढ़ा जरूर पीएँ। साथ ही महुए को किसी नि किसी रूप में आहार में शामिल करें।

पेट के कीड़े मारने वाला

बच्चों को अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें महुए की छाल का काढ़ा दें और महुए की रोटी ही खिलाया करें। साथ ही पेट की अन्य समस्याओं को भी दूर करता है। जैसे दस्त या अपच आदि में छाल का रस पीएँ। इसके रस से अल्सर भी सही हो जाता है।

डायबिटीज में होता है अमृत

डायबिटीज में महुए की छाल अमृत की तरह काम करती है। हालांकि महुआ के फूल का प्रयोग डायबिटीज रोगियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर बहुत होती है। इसलिए इसकी छाल का प्रयोग ही करें।

गटिया में पीएँ छाल का रस और करें तेल की मालिश

महुआ की छाल गटिया के इलाज में बहु कारगर है। महुआ की छाल को आप उबाल कर उसका जूस पीएँ। ये गटिया के दर्द को ही नहीं बल्कि अंदर आ गई सूजन और जकड़न को भी कम करता है। साथ ही महुआ के फूल, जड़ और छाल के साथ बीजों को पीस कर सरसों के तेल में पका लें और इसकी मालिश जोड़ों पर करें। इससे बहुत आराम मिलेगा।

टॉन्सिलिटिस और दांत दर्द में भी कारगर

महुआ की छाल में टॉन्सिलिटिस और दांत का दर्द कम करे का भी गुण होता है। पायरिया जैसी बीमारी में महुआ की छाल बहुत काम आती है। महुआ की छाल को पीस कर उसे पानी मिला लें और इस पानी से आप आरं करें और इस रस को दातों और मसूड़ें पर लगा लें। इससे काफी आराम मिलेगा।
पाइल्स में कारगर
महुआ के फूल पाइल्स की बीमारी में बहुत काम आते हैं। इसमें क्योंकि बहुत रफेज होता है इसलिए इसे खानेसे कब्ज जैसी बीमारी भी दूर रहती है। पाइल्स में आप इसके फूलों को घी में धुन लें और खाते रहें।

• महुए के बीज से तेल निकालने के बाद वह खली के रूप में पशुओं को खिलायी जाती है।

• महुए का तेल

• महुए के ताजे और सूखे फल से ‘महुअरी’ (महुए की रोटी) बनायी जाती है जो अत्यन्त स्वादिष्ट होती है।

• महुए का फल पकने के बाद उसे खाया जाता है। कच्चे फल में से की तरकारी बनायी जाती है।

• महुए का फूल, फल, बीज, छाल, पत्तियाँ सभी का आयुर्वेद में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है।

• महुए का धार्मिक महत्व भी है। रेवती नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है।


सोहन नाथ जोगी
वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक
वाग्धारा – बाँसवाड़ा

विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल 2021)



मलेरिया मच्छर का जितना प्रचलन बढ़ेगा, उतना ही आपके जीवन को खतरा बढ़ेगा। "मलेरिया को मात देने के लिए तैयार"

विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि मलेरिया को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर वैश्विक ध्यान दिया जा सके और बीमारी से होने वाली पीड़ा और मृत्यु को कम करने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके। विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य मलेरिया की शिक्षा और समझ को एक वैश्विक संकट के रूप में प्रदान करना है जो रोकथाम योग्य है और एक बीमारी है जो इलाज योग्य है। भारत में हर साल मलेरिया की बीमारी के चलते दो लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 2,05,000 मौतें मलेरिया से होती हैं। इस घातक बीमारी की मार सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ती है। 55,000 बच्चे जन्म के कुछ ही सालों के भीतर काल के मुंह में समा जाते हैं। 30 हजार बच्चे पांच से 14 साल के बीच मलेरिया से दम तोड़ते हैं। 15 से 69 साल की उम्र के 1,20,000 लोग भी इस बेहम बीमारी से बच नहीं पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 का कहना है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। यह रिपोर्ट गणितीय अनुमानों के आधार पर दुनियाँ भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में अंकड़े जारी करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित वह अकेला देश है जहाँ 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। भारत का एनुअल पैरासिटिक इंसीडेंस (एपीआई) 2017 के मुकाबले 2018 में 27.6 प्रतिशत था और ये 2019 में 2018 के मुकाबले 18.4 पर आ गया। भारत ने वर्ष 2012 से एपीआई को एक से भी कम पर बरकरार रखा है। भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है यह 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2000 से 2019 के बीच



मलेरिया के मामलों में 71.8 प्रतिशत की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारत ने साल 2000 (20,31,790 मामले और 932 मौतें) और 2019 (3,38,494 मामले और 77 मौतें) के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34 प्रतिशत की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92 प्रतिशत की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है।

मलेरिया, सामान्य बुखार होने के बाद भी न केवल मृत्यु दर और रूग्णता में योगदान दे रहा है, बल्कि लोगों पर आर्थिक बोझ भी डालता है। राजस्थान सरकार ने 2022 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। राज्य से मलेरिया को खत्म करने के प्रयास में, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को मलेरिया

उन्मूलन के उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत 2030 तक पूरे देश में मलेरिया (शुच्य स्वदेशी मामलों) को खत्म करने का लक्ष्य बना रहा है। राजस्थान 26 निम्न और मध्यम संचरण राज्य के बीच है और इसे 2022 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए सीपा गया है।

मलेरिया क्या है
मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह एक प्रकार का बुखार है जो ठण्ड या सर्दी (कंपकपी) लग कर आता है। मलेरिया रोगी का रोजाना या एक दिन छोड़कर तेज बुखार आता है। आमतौर पर लोग मलेरिया का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्योंकि मलेरिया का समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा साबित होता है। मलेरिया मादा एनाफिलेज जाति के मच्छरों से फैलता है, जो अक्सर साफ पानी में पैदा होता है और शाम के समय काटता है। गर्मी और बरसात के मौसम में मलेरिया की बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगता है।

मलेरिया का कारण
मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटानु जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप ही देखा जा सकता है। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाये जाते हैं। इनमें मुख्य है -

1. प्लाजमोडियम वाइवैक्स
 2. प्लाजमोडियम फेल्लिफेक्स
- मलेरिया कैसे फैलता है?
मलेरिया जीवन चक्र के दो प्रवाह होते हैं, जिससे यह रोग बहुत तेजी से फैलता है:-

प्रथम प्रवाह
(संक्रमित मच्छर से..... स्वस्थ मनुष्य को)
जब संक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवियों को पहुंचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10-12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं।

द्वितीय प्रवाह
(मलेरिया रोगी से..... असंक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छर में होकर अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को)
मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं व 12-14 दिनों में ये मादा एनोफेलिज मच्छर भी संक्रमित होकर मलेरिया फैलाने में सक्षम होते हैं तथा जितने भी स्वस्थ मनुष्यों को काटते हैं। उन्हें मलेरिया हो जाता है। इस तरह एक मलेरिया रोगी से यह रोग कई स्वस्थ मनुष्य में फैलता है।

निदान
रक्त की जाँच
- कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। अतः तुरन्त रक्त की जाँच करवाना, सर्भावित उपचार लेना तथा मलेरिया पाये जाने पर आमूल उपचार लेना आवश्यक है।

- बुखार होने पर क्लोरॉक्विन की गोमिया देने से पहले जांच के लिए खून लेना आवश्यक है। रक्त की जांच से ही यह पता चलता है कि बुखार मलेरिया है या नहीं। जांच के लिये कीटानु रहित सूई को मरीज की अनामिका अंगुली में थोड़ा से प्रवेश कराकर खून की एक दो बूँद कांच की पट्टिका से स्लाइड बनाई जाती है। जांच की रिपोर्ट तुरन्त प्राप्त करें।
मलेरिया के लक्षण, बचाव और घरेलू उपाय

मलेरिया के लक्षण

1. लगातार बुखार रहना
 2. ज्यादा पसीना आना
 3. शरीर में कमजोरी आना और दर्द रहना
 4. जी मचलना और उल्टी होना
- कभी-कभी इसके लक्षण हर 48 से 72 घंटे में दोबारा दिखायी देते हैं। मलेरिया के बचाव के तरीके

1. घर के पास साफ-सफाई रखना
2. कूलर के पानी की सप्ताह में एक बार सफाई करना
3. पुराने बर्तनों पानी जमा न होने देना
4. पूरी बाजू के कपड़े



पहनना 5. मच्छरदानी या मॉस्किटो रैप्लीकेंट का उपयोग करना 6. घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएँ और AC या पंखों का इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर एक जगह पर न बैठें 7. ऐसी जगह ना जाएँ, जहाँ झाड़ियाँ हों, क्योंकि वहाँ मच्छर हो सकते हैं 8. ऐसी जगह न जाएँ जहाँ पानी इकट्ठा हो क्योंकि वहाँ मच्छर पनपने का खतरा होता है

मलेरिया के घरेलू उपचार

1. गिलोय मलेरिया के इलाज के लिए अमृत मानी जाती है। गिलोय की गोली या काढ़ा बनाकर दिन में 3-4 बार सेवन करने से आराम मिलता है। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और पपीते के पत्तों को उबालकर या रात में मिट्टी के बर्तन में भिंगोकर सुबह छानकर पीएँ। बुखार में राहत मिलेगी।
2. मलेरिया में विटामिन सी और बहुत सारे पौषक तत्वों से भरपूर अमरूद का सेवन करना भी फायदेमंद होता है।
3. तुलसी के पत्ते (8-10) और 7-8 काली मिर्च को पीसकर शहद के साथ सुबह-शाम लेने से बुखार में कमी आती है।
4. मलेरिया में पीड़ित को नींबू में काली मिर्च और सेंधा नमक या सेब पर काली मिर्च और सेंधा नमक छिड़क कर खिलाने से लाभ होता है।
5. मलेरिया में तरल पदार्थों के अलावा खिचड़ी, दलिया, साबुदाना जैसे हल्के और पौषक तत्वों से भरपूर आहार दें।
6. अदरक का काढ़ा मलेरिया के उपचार में लाभदायक होता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और संक्रमण सेबचाने में मदद करता है।
7. दालचीनी का उपयोग मलेरिया के लक्षणों जैसे बुखार, सिरदर्द और दस्त को सुधारने में मदद करता है।

पुनः बुखार
पूरी अवधि तक आमूल उपचार की निधारित पूरी खुराक न लेने पर रोगी को मलेरिया बुखार दुबारा होने की सम्भावना रहती है। पुनः बुखार होने पर रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तुरन्त ले जाना आवश्यक है।

सामान्य गलतियाँ

1. बुखार है तो लोग खुद या केमिस्ट से पूछकर कोई भी दवा ले लेते हैं। यह खतरनाक साबित होता है। बुखार में एस्पिरिन (Aspirin) बिल्कुल न लें। यह मार्केट में इकोस्पिरिन (Ecosprin), डिस्पिरिन (Dispirin) आदि ब्रैंड नेम से मिलती है। ब्रूफेन (Brufen), कॉम्बिफ्लेक्स (Combiflam) आदि पेनिक्लर से भी परहेज करें क्योंकि अगर ड्रग है तो इन दवाओं से प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं और शरीर से ब्लूडिंग शुरू हो सकती है। किसी भी तरह के बुखार में सबसे सेफ पैरासेटामॉल (Paracetamol) जैसे कि क्रोसिन आदि लेना है।
2. बुखार में लोग खुद ऐंटी-बायोटिक लेने लगते हैं, जबकि टायफायड के अलावा आमतौर पर दूसरे बुखार में ऐंटी-बायोटिक की जरूरत नहीं होती। ज्यादा ऐंटी-बायोटिक लेने से शरीर इसके प्रति इम्यून हो जाता है और जरूरत पड़ने पर ये असर नहीं करती। इनसे शरीर के गुड बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं।

3. कई बार परिजन मरीज से खुद को चादर से ढककर रखने को कहते हैं ताकि पसीना आकर बुखार उतर जाए। इससे शरीर का तापमान बढ़ता है। इसके बजाय मरीज को खुली और ताजा हवा लगने दें। एसी, कूलर और पंखे में रखें।

4. कई बार मरीज को नहाने नहीं दिया जाता, जबकि मरीज नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी से नहा सकता है। नहाने की स्थिति में नहीं है तो भी टॉवल गीला कर स्प्रॉजिंग जरूर करें।

5. ड्रग में अक्सर तीमारदार या डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने की जल्दी करने लगते हैं। यह सही नहीं है। इससे उल्टे रिकवरी में वक्त लग जाता है। जब तक प्लेटलेट्स 20 हजार या उससे कम न हों, प्लेटलेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती।

6. अक्सर लोग बुखार में आराम नहीं करते और 3-4 दिन बाद ही ऑफिस जाना या दूसरे कामकाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि बुखार में आराम बेहद जरूरी है। बुखार में कम-से-कम एक हफ्ते आराम जरूर करें। यह दवा का काम करता है। इसके बाद ऑफिस जा सकते हैं या दूसरे रूटीन काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज आदि 15 दिन के बाद ही शुरू करें।

बचाव व रोकथाम

- घरों के अन्दर डी. डी.टी. जैसी कीटनाशकों का छिड़काव कराया जावे, जिससे मच्छरों का नष्ट किया जा सके।
- घरों में व आसपास गड्डो, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बो, पानी की टंकियों, गमलों, टायर ट्यूब में पानी इकट्ठा न होने दें।
- चूँकि आमतौर पर यह मच्छर साफ पानी में जल्दी पनपता है। इसलिए सप्ताह में एक बार पानी से भरी टंकियों मटके, कूलर आदि खाली करके सुखा दें।
- टाँके आदि पेयजल स्रोतों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता से टेमोफोस नामक दवाई समय समय पर डलवाते रहें।
- पानी के स्थायी स्रोतों में मछलियाँ छुड़वाने हेतु स्वा. कार्यकर्ता से सम्पर्क करें।
- जहाँ पानी एकत्रित होने से रोका नहीं जा सके वहाँ पानी पर मिटटी का तेल या जला हुआ तेल (मोबिलऑयल) छिड़कें।
- खिड़कियों, दरवाजों में जालियाँ लगावा लें। मच्छर दानी इस्तेमाल करें या मच्छर निवारक क्रीम, सरसों का तेल आदि इस्तेमाल करें।

गांव में व्यवस्था

मलेरिया उन्मूलन करने के लिए हर गांव में सूचना तंत्र निदान एवं उपचार तंत्र तथा निशुल्क दवा वितरण केन्द्र तथा बुखार उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जहाँ मलेरिया का निशुल्क उपचार किया जाता है।

अपने गांव में क्या करें

- डी. डी. टी. आदि कीटनाशकों का छिड़काव अपने ओर आस पड़ोस के घरों के भीतर भी करवायें तथा छिड़काव दलों को सहयोग दें।
- बुखार का रोगी पाये जाने पर उसके बारे में नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तुरंत सूचना दे ताकि उसकी जांच व उपचार आरम्भ किया जा सके।
- बुखार होने पर दी जाने वाली गोमियों के बारे में , खुन की जांच के बारे में मच्छर या लावाभक्षी दवाओं के बारे में , डी.डी.टी. आदि कीटनाशकों के छिड़काव के तरीके वा सावधानियों के बारे में तथा मलेरिया घोषित होने पर सम्भावित एवं आमूल उपचार के बारे में पूरी व सही जानकारी प्राप्त करें।
- पूरा उपचार व मुक्त दवाव दवा वितरण केन्द्रों से मुफ्त प्राप्त करें।
- स्वा.कार्यकर्ता, चिकित्सकों की सलाह से मलेरिया का उपचार लें।

राजेश हिरेन
स्टेट पॉलिसी एडवोकेसी लीडर (हेथ्य)
वाग्धारा

सूचना प्रौद्योगिकी से विकास या विनाश

आज हमारे समुदाय, शहर, राज्य, देश और विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्व है और जरूरत भी है। इसका उपयोग हम व्यापार, वाणिज्य एवं संचार के लिए करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला दिया है। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति हुई है विश्व का अधिकांश भाग इससे जुड़ चुका है जिसके कारण इसकी उपयोगिता भी बढ़ी है। सूचना प्रौद्योगिकी सिर्फ सूचना के आदान प्रदान के लिए ही नहीं है, ये हमारे जीवन को आसान और बेहतर करने के लिए भी आवश्यक है, हम इन सुविधाओं का किस प्रकार उपयोग करते हैं और किस क्षेत्र में कितना उपयोग कर सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग आदि हर एक स्थान पे अपना अलग महत्व रखता है इसकी सहायता से सभी जगह पर बहुत विकास हुआ है और आगे भी इसका विकास होता जा रहा है। इसके माध्यम से कम समय में ज्यादा काम किया जाता है, ऑनलाइन सरकारी कामकाज, ई-बैंकिंग द्वारा बैंक का कामकाज ऑनलाइन, शिक्षा के लिए ई-एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। यह हमारे आम जीवनको भी बहुत प्रभावित करता है सूचना प्रौद्योगिकी अगर प्रभावित और उपयोगी है तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं जो हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसका उपयोग किस तरह से, किस उपयोग में और कैसे करना है इसका एक बड़ा महत्व है जिसे हमें समझना और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आइये, हम इसके सही उपयोग से जीवन में विकास और गलत उपयोग से जीवन में विनाश के बारे में जानते हैं।

सबसे पहले हम जानते हैं इससे मिलने वाली सुविधा के बारे में...

- 1) चिकित्सा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसकी सहायता से कम समय में मरीजों को चिकित्सा दी गई है मेडिकल सुविधा आसान हुई है, एक फ्रोन कॉल से आपके पास मेडिकल की सहायता पहुंच जाती है। इन्टरनेट की सहायता से हर बिमारी के चिकित्सक के बारे में जानकारी, दवाइयों के बारे जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है।

2) बैंको की सेवाओं में सुविधा हुई है, पहले हमें घंटों लाइन में लगकर अपना काम करना होता था परन्तु इसके आने के बाद हम घर बैठे उन्ही काम को आसानी से कर सकते हैं।

3) सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि की है और रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। सूचना के महत्व के साथ सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ा है जिसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, विशेष रूप से सूचना सुरक्षा एवं सर्वर के विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है।

4) ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास बहुत तेजी से होने लगा है, ग्रामीण साक्षरता की स्थिति में बढताव आया है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश में अनेक ग्रामीण केंद्र संचालित हो रहे हैं जिनमें सामाजिक परिवेश में जागरूकता भी बढ़ रही है।

5) व्यापार में भी इसका एक अलग ही महत्व है इसकी सहायता से बाजार की जानकारी, वस्तुओं की कीमतों का पता होना, व्यापारियों के बारे में पूरी जानकारी होना, देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान में आदि में इसका प्रभाव पड़ा है। कम समय में ज्यादा काम हो पाया है, यातायात सरल हुआ जिससे समय की बचत हुई है और व्यापार में वृद्धि हुई है।

6) किसानों को भी इससे बहुत लाभ मिला है खेती में तकनीकी जानकारी, फसल को खराब होने से बचाव के लिए और मौसम विभाग की जानकारी, फसल का बाजार का मूल्य आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त होती जाती है।

अब हम जानते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में ----

जिस तकनीक के बहुत फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं लेकिन नुकसान सभी को नहीं होता, जो व्यक्ति इसे गलत तरीके से उपयोग करता है गलत कामों के लिए करता है, उसे इसका नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए इसके उपयोग करने से पहले इसके लिए सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान ना पहुंचे।

जानकारी के अभाव में और सावधानियां ना रखने से होने वाले कुछ दुष्प्रभाव की जानकारी...

1) स्वयं की जानकारी को दूसरो से साझा ना करना, आजकल हर एक काम को तकनीकी से जोड़

दिया गया है ताकि आपको आसानी हो, जिसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस तकनीक में रखना होता है, लेकिन अगर आप अपनी जानकारी को किसी के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है वो उसका दुरुपयोग करे इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए की हमारी व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ भी साझा ना करें।

2) बैंक में जब ई-बैंकिंग करते हैं तो उसमें हमारा अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सभी की जानकारी रहती है अगर हम अनजाने में किसी को ये नंबर दे देते हैं तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए साथ ही पूरी जानकारी हासिल करके ही किसी को जानकारी भेजनी चाहिए।

3) स्वास्थ्य का खराब होना, आज हर किसी के पास मोबाइल और कंप्यूटर है मोबाइल में इतने गेम आ चुके हैं की बच्चे उसी में व्यस्त रहने लगे हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, एक ही जगह पर बैठ के पूरा दिन गेम में ही निकाल देते हैं जिससे उनके शरीर में एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। जिसके कारण बिमारी उनको आसानी से पकड़ लेती है, इसके साथ ही कम उम्र में ही आँखें कमजोर होना तो आम बात हो गई है। हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तकनीकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाये, इससे होने वाले लाभ के साथ साथ इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दे ताकि हम सूचना प्रौद्योगिकी को अपने जीवन के विकास के लिए उपयोग ले ना की हमारे जीवन के विनाश के लिए।

युवाओं के रोजगार और समुदाय के विकास के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी और इसकी शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए तभी हम हमारे समुदाय का विकास कर सकते हैं और युवाओं को भी इसके लिए आगे आना चाहिए ताकि वो अपने समुदाय को इससे जुड़ी हर प्रकार की जानकारी और उपयोगिता के बारे में बता सकें।

आकिब अहमद
आईटी प्रबंधक, वाग्धारा

सफलता की कहानी

(एक प्रयास लोगों के सेहत में बदलाव)
समुह का नाम:- गीता सक्षम समुह, गाँव:- सालरिया, पंचायत:- देवदा, ब्लॉक:- घाटोल
सालरिया गाँव ग्राम पंचायत देवदा से 3 किलोमीटर की दुरी पर स्थित है। यह घाटोल तहसील के बाँसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। बाँसवाड़ा जिला मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की स्थानीय भाषा वाग्धारी है। सालरिया गाँव के लोग मुख्यतः अपनी आजीविका के लिए खेती- बाड़ी पर ही निर्भर है। यहाँ के किसान चौमसों में मक्का, तिल, उड़द और रबी में सिर्फ गेहूँ लगाते हैं। इस गाँव में लगभग सभी छोटे किसान हैं उनके पास 2 से 3 बीघा जमीन है। यहाँ के लोगों को पहले 12 माह खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाता था और उन्हें बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था अनाज और सब्जियों के लिए। 2019 में वाग्धारा संस्था के माध्यम से गाँव में सक्षम समूह का गठन किया गया जिसमें 20 महिलाओं को जोड़ा गया, जो गाँव के अलग - अलग फले से थी और इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इस समूह का नाम महिलाओं के द्वारा गीता सक्षम समुह रखा



गाँव और समूह की 3 महिला लक्ष्मी, कीर्ति और तुलसी का चयन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के लिए किया गया, जिन्हें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्यभार दिया गया। समूह बनाने का प्रमुख उद्देश्य है इन महिलाओं को सक्षम यानि आत्मनिर्भर बनाना और बाजार पर इनकी निर्भरता को कम करना। प्रतिमाह बैठक के दौरान संस्था के

सहजकर्ता नरेश बुनकर और स्वराज मित्र के द्वारा इन महिलाओं को सच्ची खेती, सच्चा बचपन और सच्चा स्वराज के बारे में जानकारी दी गई। 2019 तक इस गाँव में कोई भी महिला सब्जी बाड़ी नहीं लगाती थी और प्रतिदिन इन्हें 50-60 रूपय सब्जी खरीदने पर खर्च करने पड़ते थे और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण यहाँ के लोग सिर्फ रोटी और दाल ही खाते थे जिस कारण से महिलाओं में खून की कमी और कमजोरी होने लगी थी और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। लेकिन जब वाग्धारा के माध्यम से महिलाओं को सब्जी बीज कीट मिला तब उन्होंने अपने अपने



वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा मनाया गया पोषण परखवाड़ा
यूनिसेफ के तत्वाधान में वाग्धारा संस्था द्वारा संचालित वागड़ रेडियो 90.8 FM में पोषण परखवाड़ा मनाया गया, जिसमें 16 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक इस पोषण परखवाड़े के अंतर्गत समुदाय के साथ जुड़कर अलग-अलग आंगनवाड़ी केंद्रों एवं वागड़ रेडियो स्टूडियो से विषय विशेषज्ञों के साथ पोषण से संबंधित चर्चाओं का सीधा प्रसारण किया गया। इसी के साथ कई विषयों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से कुपोषण को लेकर चर्चा की गई जिसमें कुपोषण के कारण उनके परिणाम के साथ ही कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों की पहचान कैसे की जाती है, उनका इलाज कैसे किया जाता है वहीं स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से उन्हें कैसे सहायता प्रदान की जाती है साथ ही पोषण पंचायत व पोषण ग्राम सभा से कैसे समुदाय में पोषण की वृद्धि की जाए और पोषण वाटिका का क्या महत्व

है इसी के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर ने भी हमें बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में सारे नियमों को अपनाते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया और आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे नहीं आ पाए उन तक पोषाहार पहुंचाया गया और उनके पोषण में कहीं कमी नहीं आने दी, साथ ही गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और धात्री महिलाओं के बारे में भी पोषण के बारे में जानकारी दी गई की वे अपने घर पर पोषण वाटिका लगाकर किस तरह अपने पोषण को बढ़ा सकती हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। साथ ही इस पूरे पन्द्रह दिनों के कार्यक्रम में वागड़ रेडियो के स्टेशन प्रबंधक श्री रंजीत यादव व रेडियो टीम से सीमा मोहन, छाया जमड़ा, जाग्रति भट्ट व अंजलि पाराशर ने अपनी उपस्थिति देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया।



वागड़ रेडियो 90.8 FM
वाग्धारा, कुपड़ा

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें-
वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम-पोस्ट कुपड़ा, वाग्धारा केम्पस, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
फोन नम्बर है - 9460051234 ई-मेल आईडी - radlo@vaagdharma.org

यह "वार्ता वाग्धारा नी" केवल आंतरिक प्रसारण है।

मार्गदर्शक : दीपक शर्मा, गगन सेठी, नरेन्द्र कुमार | मुख्य संकलक : परमेश पाटीदार | सहसंकलक : जागृती भट्ट

